

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 80

राज्य सभा

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	412.96	...	412.96	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
<i>वसूलियां</i>	-0.04	...	-0.04
<i>प्राप्तियां</i>
निवल	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सभापति तथा उपसभापति	1.87	...	1.87	1.52	...	1.52	1.37	...	1.37	1.37	...	1.37
2. विपक्ष के नेता और सचिवालय	2.17	...	2.17	2.28	...	2.28	2.54	...	2.54	2.62	...	2.62
3. सदस्य	120.78	...	120.78	133.91	...	133.91	136.56	...	136.56	134.36	...	134.36
4. सचिवालय	287.76	...	287.76	262.59	...	262.59	280.88	...	280.88	297.37	...	297.37
5. मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय	0.17	...	0.17	0.23	...	0.23	0.15	...	0.15	0.26	...	0.26
6. अन्य व्यय	0.21	...	0.21	0.51	...	0.51	0.26	...	0.26	0.31	...	0.31
7. वास्तविक वसूली	-0.04	...	-0.04
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
कुल जोड़	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
जोड़-सामान्य सेवाएं	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29
कुल जोड़	412.92	...	412.92	401.04	...	401.04	421.76	...	421.76	436.29	...	436.29

1. **सभापति तथा उपसभापति:** यह प्रावधान राज्य सभा सचिवालय में सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
2. **विपक्ष के नेता और सचिवालय:** यह प्रावधान राज्यसभा में विपक्ष के नेता और उनके सचिवालय के वेतन एवं भत्तों आदि के लिए है।
3. **सदस्य:** इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, उनकी सुविधाओं के लिए व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है और राज्यसभा सचिवालय में संसद अध्ययन पीठ (चेयर इन पार्लियामेंट स्टडीज) की स्थापना से संबंधित व्यय की व्यवस्था की गई है।
4. **सचिवालय:** इसमें अधिकारियों एवं स्टाफ के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों, स्थापना प्रभारों (कैटीन), राज्य सभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय और प्रशिक्षण कार्यक्रमों संबंधी व्यय का प्रावधान है।
5. **मान्यता प्राप्त पार्टियों एवं दलों के नेता, उप-नेता एवं मुख्य सचेतक का सचिवालय:** यह प्रावधान मान्यता प्राप्त दलों एवं समूहों के नेताओं, उप-नेताओं एवं मुख्य सचेतकों को सचिवालय सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए निजी सचिवों के वेतन और भत्तों से संबंधित है।
6. **अन्य व्यय:** यह प्रावधान परामर्शदात्री समिति की बैठकों के संबंध में संसद सदस्यों की घरेलू यात्राओं से संबंधित व्यय और पीठासीन अधिकारी के विवेकाधीन अनुदानों की व्यवस्था के लिए है।